5 भारत में परिवार (Family in India)

भारत एक बहुलक समाज है जहाँ कई धर्म, जनजाति, जाति एवं सांस्कृतिक समूह (Cultural Group) साथ-साथ रहते हैं और इन सभी समूहों में परिवार की प्रकृति एवं स्वरूप में कुछ न कुछ भिन्नताएँ पायी जाती हैं। बावजूद इसके भारत में सामान्यत: परिवार से तात्पर्य संयुक्त परिवार से है। संयुक्त परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो वैवाहिक, रक्त एवं गोद लिए गए सम्बन्धों से जुड़े होते हैं। इसमें तीन से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ और एक छत के नीचे रहते हैं। एक सामान्य रसोई में भोजन करते हैं, सामान्य सम्पत्ति के स्वामी होते हैं, एक ही कुल देवता की पूजा करते हैं और पारस्परिक कर्तव्य तथा भावनात्मक एकता से आबद्ध होते हैं।

संयुक्त परिवार की विशेषताएँ (Characteristics of Joint Family)

संयुक्त परिवार की अवधारणा को समझने के लिए आवश्यक है कि इस अवधारणा की विशेषताओं का अध्ययन किया जाए जो निम्नानुसार हैं-

1. संयुक्त परिवार के लिए सामान्य निवास प्रमुख लक्षण है। जिसके अनुसार संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक मकान में साथ-साथ रहते हैं।
2. सामान्य रसोई अर्थात् संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक चूल्हे पर बना भोजन खाते हैं।
3. सामान्य सम्पत्ति अर्थात् एक पूर्वज की सन्तानें सामान्य रूप से सम्पति विरासत (Heritage) में प्राप्त करती है। संयुक्त परिवार के सदस्यों की आय एक स्थान पर एकत्र की जाती है तथा वहाँ से सबकी आवश्यकताएँ पूरी की जाती हैं।
4. अनेक पर्वों-उत्सवों में परम्परागत संयुक्त परिवार के सभी सदस्य साथ-साथ भाग लेते हैं। परिवार के अनेक सदस्य शिक्षा, नौकरी, व्यापार आदि के कारण मूल निवास से बाहर रहते हैं लेकिन वे परिवार की पूजा व अन्य अवसरों पर सम्मिलित होते हैं।
5. संयुक्त परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य परस्पर विशिष्ट रक्त, विवाह अथवा गोद-सम्बन्धों से सम्बन्धित होते हैं।
6. संयुक्त परिवार बन्धुत्व से सम्बन्धित व्यक्तियों का संकलन है जो एक धर्म को मानने वाले हैं। समाज संयुक्त परिवार के सदस्यों को सामाजिक और धार्मिक कार्यों के सन्दर्भ में एक इकाई मानता है।
7. परिवार के मुखिया की स्थिति संबंधित समाज की प्रथा और परम्परा (Custom and Tradition) निश्चित करती है। परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया, पुरोहित, न्यायाधीश आदि जैसी भूमिकाएँ संयुक्त परिवार के स्तर पर निभाता है।
8. परम्परागत संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होता है। जिसमें तीन या तीन से अधिक पीढ़ी के व्यक्ति साथ-साथ रहते हैं। इसमें एक पीढ़ी में कई विवाहित भाई अपनी पत्नियों के साथ-साथ रहते हैं।
9. एकाकी या नाभिक परिवार की तुलना में संयुक्त परिवार अधिक स्थायी होते हैं। संयुक्त परिवार तीन या इससे अधिक पीढ़ी की संयुक्तता वाला होता है। अनेक सदस्य साथ-साथ रहते हैं। उनमें 'हम' की भावना या सामूहिक दृष्टिकोण (Collective Approach) 'एक के लिए सब और एक सबके लिए' वाली भावना पाई जाती है।

संयुक्त परिवार में होने वाले आधुनिक परिवर्तन (Modern Changes in Joint Family)

संयुक्त परिवार भारतीय समाज की केन्द्रीय संस्था और परिवार का प्रमुख स्वरूप रहा है। जो आधुनिकीकरण और संचार क्रांति के वर्तमान दौर में परिवर्तन की ओर क्रियाशील है। संयुक्त परिवार में होने वाले इन परिवर्तनों को निम्न बिंदुओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है-

संरचना में परिवर्तन (Change in Structure)

1. औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण एवं मूल्य व्यवस्था के प्रसार आदि के कारण नवस्थानीय आवास में वृद्धि हुई है। जिसके कारण आज संयुक्त परिवार आकार में छोटे होते जा रहे हैं। सहविवाही एवं सहभोजी (Co-marriage and Commensal) इकाई के रूप में उसके अधिकांश सदस्य अपने एकाकी परिवार के साथ अपने रोजगार के क्षेत्रों में रहने लगे हैं।
2. स्वतंत्रता एवं समानता के मूल्यों के प्रसार आदि के कारण परिवार के मुखिया की सत्ता विकेंद्रीकृत हुई है तथा युवाओं एवं कमाने वाले व्यक्तियों की तरफ सत्ता हस्तातंरित हुई है।
3. पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया में परिवार के अन्य सदस्यों की सहभागिता (Involvement) में वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि बच्चों से भी महत्वपूर्ण विषयों पर राय ली जाती है।

4. स्वतंत्रता एवं समानता के मूल्य, आधुनिक शिक्षा एवं औद्योगीकरण के कारण स्त्रियों में आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है और परिवार में उनकी प्रस्थिति में सुधार हुआ है।
5. अवसरों एवं पुरस्कारों का वितरण अब व्यक्ति की परिवार की सदस्यता के आधार पर नहीं बल्कि उसके गुणों से निश्चित होने लगे हैं।
6. संरचना में परिवर्तन के साथ-साथ प्रकार्यात्मक संयुक्तता (Functional Connectivity) का विस्तार क्षेत्र सीमित हो गया है।

अन्तःपारिवारिक सम्बन्धों में परिवर्तन (Changes in Inter-Family Relations)

1. आज बच्चों पर परम्परागत संयुक्त परिवार के कठोर नियंत्रण लचीले हो गए हैं तथा माता-पिता एवं बच्चों के सम्बन्ध समानतायुक्त एवं मित्रवत हुए हैं। सत्ता सम्बन्ध कुल पिता से बच्चों के पिता की ओर हस्तांतरित हो रहे हैं। आज परिवार के सभी सदस्यों को पारिवारिक समस्याओं पर विचार करने की स्वतंत्रता मिल रही है।
2. आज बच्चों द्वारा माता-पिता के निर्णयों का विरोध प्रारंभ हो गया है।
3. पति-पत्नी के बीच निकटता में वृद्धि हुई है और इनके बीच समानतायुक्त और मित्रवत् सम्बन्ध विकसित हुए हैं, बावजूद इसके आज बहुत से वैसे भी परिवार विकसित हुए हैं जहाँ पत्नी की सत्ता प्रमुख है। किन्तु, अधिकांश परिवारों में निर्णय प्रक्रिया में पुरुषों का वर्चस्व बना हुआ है।
4. आज परिवार में सास-बहू के मध्य सम्बन्ध भी परिवर्तित हुए हैं जहाँ सास की सत्ता में कमी आई है, वहीं बहुओं की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है।

प्रकार्यों में परिवर्तन (Change in Functions)

1. आज संयुक्त परिवार में पीढ़ी की गहराई कम होने तथा बच्चों द्वारा अधिकांश समय घर से बाहर बिताने आदि के कारण शिक्षा तथा संस्कृति के हस्तांतरण सम्बन्धी संयुक्त परिवार की भूमिका कमजोर हुई है।
2. आज धार्मिक कार्यों में परिवर्तन हुआ है और कठोर धर्म-विधियां अब लचीली हो गयी हैं।
3. उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार एवं बढ़ते व्यक्तिवाद के कारण संयुक्त परिवार के आर्थिक प्रकार्यों (Economic Functions) में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। अब परिवार के सदस्य अपनी कमाई मुख्यतः अपने पत्नी एवं बच्चों पर खर्च करते हैं तथा अन्य नातेदारों के प्रति उनकी भूमिका निरन्तर कम होती जा रही है।
4. आज इसके मनोरंजनात्मक प्रकार्यों को भी अन्य आधुनिक संस्थाओं यथा टीवी, सिनेमा आदि द्वारा ले लिया गया है।
5. आज इसके सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य लोक कल्याणकारी राज्यों द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है।

अन्य नवीन परिवर्तन (Other New Changes)

आज विघटित परिवारों की संख्या बढ़ी है अर्थात् पुत्र अपने माता-पिता से अलग रहना पसंद करते हैं यद्यपि वे उनके प्रति परम्परागत दायित्वों (Traditional Obligation) का निर्वाह करते रहते हैं। आज शहरों में जहाँ पति-पत्नी दोनों कमाने वाले हैं, बच्चों के पालन-पोषण आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निकट सम्बन्धियों को साथ रखते हैं। वहीं कुछ दम्पति ऐसे भी हैं जो निकट सम्बन्धियों के स्थान पर नौकरानी या आया से अपना काम चलाना पसंद करते हैं। अब माता-पिता भी अपने बेटों से एक ही शहर में अलग-अलग रहते पाये जा रहे हैं और अपने भविष्य के लिए पृथक व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। अब द्विपक्षीय नातेदारी को भी मान्यता मिल रही है और बेटियाँ भी माता-पिता की देखभाल करने लगी हैं।

स्पष्टतः इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि भारत में आधुनिकता की प्रवृत्ति ने भारतीय संयुक्त परिवार में व्यापक परिवर्तन को सम्भव बनाया है जिसमें भौतिक पृथक्करण प्रमुख है। तथापि, यह भी सत्य है कि भौतिक पृथक्करण की प्रमुखता, संयुक्तता की भावना की समाप्ति का सूचक नहीं हो सकता। वर्तमान संयुक्त परिवार से पृथक हो जाने के पश्चात् भी इसके सदस्यों में एक-दूसरे के प्रति सहयोग और कर्तव्य की भावना यथावत बनी हुई है। परंतु, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि आज संयुक्त परिवार की संयुक्तता की मात्रा पहले की अपेक्षा कम हुई है। अतः निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संयुक्त परिवार में परिवर्तन अवश्य हुआ है लेकिन संयुक्तता का केन्द्रीय तत्व कुछ कम ही सही किंतु अभी भी बना हुआ है। हमारे समाज में प्रकार्यात्मक (Functional) प्रकार का संयुक्त परिवार तब तक बना रहेगा, जब तक यह सांस्कृतिक आदर्श बना रहेगा कि "एक पुरुष को अपने माता-पिता एवं अल्पायु के भाई-बहन की देखभाल करनी चाहिए।"

संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारक (Causes of Change in Joint Family)

1. परम्परागत कृषक संयुक्त परिवार उत्पादन और उपभोग की इकाई था। औद्योगीकरण के कारण वह परिवर्तित होकर केवल उपभोग की इकाई बन गया। इससे नाभिक परिवारों (Nuclear Family) का प्रतिशत बढ़ने लगा। औद्योगिक केन्द्रों पर उत्पादन के कारण ग्रामों के कुटीर उद्योग समाप्त हो गए। ग्रामीण व्यक्ति शहरों में प्रवासित हुए और परम्परागत व्यवसाय छोड़कर कल-कारखानों में काम करने लगे। वस्तु-विनिमय (Barter) का स्थान नकद मुद्रा विनिमय ने ले लिया। इससे संयुक्त परिवार की सामान्य सम्पत्ति की विशेषता टूट गई।

स्त्रियाँ काम करने लगीं और संयुक्त-परिवार में रहना नापसन्द करने लगीं।

2. नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, उपभोग की वस्तुएँ आदि सुविधाओं की उपलब्धता के कारण लोग नगरों में रहना अधिक पसन्द करते हैं। जब लोग ग्राम से संयुक्त परिवार को छोड़कर नगरों में आते हैं तो उससे संयुक्त परिवार विभाजित होता है। नगरों में आवास की समस्या होने से व्यक्ति या तो अकेला रहता है या अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, जो कि नाभिक परिवारों का प्रतिशत बढ़ाता है।
3. ब्रिटिश शासन के समय भारतीय पाश्चात्य-शिक्षा और संस्कृति के सम्पर्क में आए। इससे भारतीयों के सामाजिक मूल्य, दर्शन और जीवन का तरीका पाश्चात्यीकृत होने लगा जो नाभिक परिवार को प्रोत्साहन देता है। व्यक्तियों पर भौतिकवाद और व्यक्तिवाद (Materialism and Individualism) के प्रभाव, स्त्रियों की शिक्षा व समानता की भावना, प्रेम-विवाह, तलाक, अन्तर्जातीय-विवाह और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ने संयुक्त परिवार का विभाजन किया और एकाकी परिवार की तरफ आकर्षण बढ़ाया।
4. यातायात के साधनों के विकास ने व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना-जाना सुगम कर दिया है। पहले व्यक्ति जीवनपर्यन्त संयुक्त परिवार एवं जन्म-स्थान में ही रहता था। लेकिन अब वह संयुक्त परिवार को छोड़कर दूर स्थानों पर नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा आदि के लिए चला जाता है। बढ़ी हुई भौगोलिक गतिशीलता (Geographical Mobility) के कारण भी परम्परागत संयुक्त परिवार विभाजित होकर नाभिक परिवारों में परिवर्तित हो रहे हैं।
5. ब्रिटिश सरकार की फूट डालने की नीतियों व कानूनों ने संयुक्त परिवार को तोड़ने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान दिया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1929 ने व्यक्ति को सम्पत्ति में अधिकार दे दिया चाहे वह संयुक्त परिवार से अलग रहता हो। हिन्दू स्त्रियों को सम्पत्ति में अधिकार अधिनियम, 1939 ने उन्हें सम्पत्ति में अधिकार प्रदान कर दिया। सम्पत्ति के बँटवारे के अधिनियम के प्रावधान ने संयुक्त परिवार की आधारभूत विशेषता को बदलकर इसे नाभिक परिवार में बदलने की प्रक्रिया को गति प्रदान कर दी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के द्वारा परिवार की महिलाओं (पुत्री, पत्नी, माता आदि) को पारिवारिक सम्पत्ति में अधिकार दे दिया गया। इनके कारण संयुक्त परिवार में परिवर्तन हो रहा है।
6. पारम्परिक रूप से सामाजिक-सुरक्षा का कार्य संयुक्त परिवार का ही था। आज सरकार की अनेक योजनाओं द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। जैसे-बीमा योजना, भविष्यनिधि कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कानून, पेन्शन आदि। इससे नाभिक परिवारों की वृद्धि हो रही है।
7. पहले संयुक्त परिवार अनेक परम्परागत कार्य जैसे- शिक्षा, मनोरंजन, कपड़ा, भोजन, व्यवसाय, खाने-पीने की सामग्री आदि की व्यवस्था करता था। अब यह अन्य समितियों को हस्तांतरित हो गए हैं। आज व्यक्ति संयुक्त परिवार पर निर्भर नहीं रहा।
8. संयुक्त परिवार में अनेक सदस्य साथ-साथ रहते हैं। उनमें परस्पर झगड़े मन-मुटाव व कहासुनी होते रहते हैं। इन झगड़ों से बचने के लिए लोग अलग घर बसाकर रहना पसन्द करते हैं।
9. महिला आन्दोलन ने स्त्रियों में जागृति पैदा की है, जिससे वे स्वयं के अस्तित्व को समझने लगी हैं। वे शिक्षा ग्रहण करने लगी हैं, व्यवसायों में आने लगी हैं, स्वयं के शोषण के प्रति जागरुक हुई हैं, प्रेम-विवाह करने लगी हैं। वे संयुक्त परिवार में नियंत्रण के कारण अब इसमें रहना पसन्द नहीं करती हैं। परिणामतः इससे नाभिक परिवारों की संख्या बढ़ी है।

सामाजिक विधानों का हिन्दू विवाह एवं परिवार पर प्रभाव
(Impact of Social Legislation on Hindu Marriage and Family)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व एवं पश्चात् राज्य के हस्तक्षेप और नियमों के निर्माण द्वारा आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में परम्परागत सामाजिक संरचना (Traditional Social Structure) में बदलाव लाने का प्रयास किया गया है। इन विधानों के प्रभाव या इनसे होने वाले परिवर्तनों को हिन्दू विवाह एवं परिवार संस्था के सन्दर्भ में देखा जा सकता है; जैसे-

1. ***सती प्रथा अधिनियम-*** (1829, 1987) के द्वारा भारतीय समाज के अमानवीय प्रथा के रूप में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया है। फलतः स्त्रियों की प्रस्थिति में सुधार के साथ पितृसत्तात्मकता (Patriarchy) कमजोर हुई है।
2. ***हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम-*** (1856) के द्वारा विधवा को पुनर्विवाह न करने की निर्योग्यता से मुक्त कर दिया गया और दूसरे विवाह और संतान को वैध माना गया है, फलतः स्त्रियों की प्रस्थिति में सुधार सम्भव हुआ परन्तु आज भी इसे पूर्ण सामाजिक मान्यता प्राप्त न होने के कारण पूरी सफलता नहीं मिल पायी है।
3. ***बाल विवाह निरोधक अधिनियम-*** (1929) के अन्तर्गत बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया और इसके लिए विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गयी है। फलतः

(i) परिवार में बहुओं की स्थिति में सुधार हुआ है।

(ii) लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है।

(iii) लड़कियों द्वारा संयुक्त परिवार में अनुकूलन (Adaptation) की कठिनाइयों की वजह से संयुक्त परिवार में टूटने की समस्या देखी गई है।

(iv) महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

4. ***विशेष विवाह अधिनियम***- (1954) के द्वारा अन्तर्जातीय विवाह (विभिन्न धर्म एंव जाति के मध्य) की वैधानिक अड़चन दूर की गई है और अन्तर्विवाही नियमों को ऐच्छिक बनाया गया है, फलत:-

(i) स्त्रियों की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है।

(ii) वैवाहिक निर्णयों में माता-पिता की भूमिका में कमी आई है।

(iii) संयुक्त परिवार का विघटन तथा एकाकी परिवार का उदय हुआ है।

5. ***हिन्दू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम***- (1955) के द्वारा स्त्री, पुरुष दोनों को विवाह सम्बन्धी कुछ शर्तों को मानना अनिवार्य कर दिया गया तथा स्त्रियों को भी विवाह-विच्छेद के अधिकार दिए गए हैं, फलत:-

(i) पुरुष प्रभुता का ह्रास हुआ है।

(ii) स्त्रियों की प्रस्थिति में सुधार हुआ है।

(iii) विवाह का स्थायित्व प्रभावित हुआ है एवं विवाह संस्कार न रहकर एक समझौता बन गया है।

(iv) बच्चों के लालन-पालन की समस्या उत्पन्न हुई है।

6. ***दहेज निरोधक अधिनियम***- (1961, 86) के द्वारा दहेज (लेन-देन) को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, फलत: स्त्रियों की प्रस्थिति में सुधार हुआ है।

7. ***हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम***- (1956, 2004) के द्वारा लड़कियों को अपने माता-पिता की सम्पत्ति में लड़कों के समकक्ष अधिकार प्रदान किया गया है, फलत: स्त्रियों की प्रस्थिति (Status) में सुधार हुआ है तथा महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है। जहाँ लड़कियों द्वारा अपने पिता की सम्पत्ति पर अधिकार का दावा किया गया है वहाँ पारिवारिक तनाव जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, परन्तु यह संक्रमणकालीन अवस्थाजनित तनाव व संघर्ष है। अन्तत: यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित होगा तथा दहेज प्रथा के उन्मूलन में सहायक होगा।

मूल्यांकन (Evaluation)

स्पष्ट है उपरोक्त वैधानिक प्रयासों ने भारत में विवाह संस्था के विभिन्न आयामों में परिवर्तन को संभव बनाया है, परन्तु अर्थ के बढ़ते महत्व, विधान में निहित कमियाँ, इसके कार्यान्वयन के लिए दृढ़ इच्छा शाक्ति का अभाव, इन विधानों के पक्ष में जागरुकता का अभाव आदि के कारण अभी तक अपेक्षित परिवर्तन सम्भव नहीं हो पाया है। भारत के गांवों में आज भी बाल विवाह प्रथा पायी जाती है। आज भी लगभग सभी विवाह जाति के अन्तर्गत ही सम्पन्न किये जाते हैं। तलाक की वैधानिकता के बाद भी औरतें आज पति के जुल्मों को सहती हैं, आज भी विवाह में दहेज एक सामान्य घटना बनी हुई है और जिसे रोका नहीं जा सका है। ये सभी तथ्य सिद्ध करते हैं कि वैधानिक प्रयासों द्वारा जो परिवर्तन सामने आये हैं, वह सीमित हैं और कुछ पक्षों में ही हैं। अत: इन परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि इन विधानों के क्रियान्वयन के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो और शिक्षा प्रसार द्वारा इन विधानों के पक्ष में जनमत निर्माण हो क्योंकि जब तक इसके पक्ष में सामाजिक अपील नहीं होगी, तब तक विधानों का व्यावहारिक लाभ प्राप्त करना कठिन है।

भारत में परिवार : संभावित प्रश्न

1. हिन्दू विवाह एंव परिवार पर सामाजिक विधानों के प्रभावों का वर्णन करें।
2. भारतीय संयुक्त परिवार के अर्थ एवं लक्षण को स्पष्ट कीजिए तथा संयुक्त परिवार व्यवस्था में होने वाले आधुनिक परिवर्तनों की चर्चा कीजिए।
3. हाल के वर्षों में पारिवारिक विघटन में वृद्धि हुई है। इसके लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए।
4. आर्थिक विकास की समकालीन प्रक्रियाओं ने भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है? स्पष्ट करें।
5. समकालीन भारत में संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तन एवं निरन्तरता के तत्वों को दर्शाइए। इसके लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं?

✪✪✪✪✪